

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-01/13

109

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/ देवघर

संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 30-10-13

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्ति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड 49P470180796460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्ति एवं सुसज्जीकरण 49P470180796460543	96.40

आवंटित राशि - ₹ छियानबे लाख चालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 800.00 लाख (आठ: करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

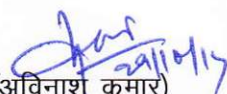
ज्ञापांक :-

109

रॉची, दिनांक :- 30-10-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/दुमका/गोड्डा/देवघर/खूँटी/चाईबासा/सिमडेगा/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

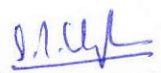
ज्ञापांक :-

109

रॉची, दिनांक :- 30-10-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....109 दिनांक30/01/13 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना,

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण

विपत्र कोड- 49P470180796460543

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध रु. 800.00 लाख मात्र।

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	देवघर	सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	231.81	30/13-14 प्रोत्सी० दिनांक 26.08.2013	0.00	0.00	17.40		
2	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा					0.00	0.00	12.30		
3	सिंचाई प्रमंडल, देवघर					0.00	0.00	0.30		
4	जलपथ प्रमंडल, राँची	0.00				0.00	5.50			
5	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू	0.00				0.00	25.00			
6	जलपथ प्रमंडल, खूँटी	0.00				0.00	8.50			
7	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	0.00				0.00	8.00			
8	जलपथ प्रमंडल सं०-1, चक्रधरपुर	0.00				0.00	8.60			
9	जलपथ प्रमंडल, गुमला						5.80			
10	जलपथ प्रमंडल सं०-1, सिमडेगा	0.00				0.00	5.00			
योग						0.00	0.00	96.40	0.00	
आवंटित राशि - ₹ छियानबे लाख चालीस हजार मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव, (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव, (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 109 दिनांक 30-10-19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड- 49P470180796460543

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	8	9	10	5
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 8 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (मयूराक्षी बाँयी मुख्य नहर, बडा नदी जलाशय योजना, कैराबनी जलाशय योजना, दिग्गल पहाड़ी जलाशय योजना, सुर्योदी जलाशय योजना, पगला वीयर योजना, हरणा वीयर योजना, कक्षिया वीयर योजना)	0.00	0.00	17.40	
2	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा		प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (सुन्दर जलाशय योजना, भौरा बाँध बराज योजना, त्रिवेणी वीयर योजना, सोनेपुर वीयर योजना)	0.00	0.00	12.30	
3	सिंचाई प्रमंडल, देवघर		प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (दहुआजोर वीयर योजना, दरुआ वीयर योजना)	0.00	0.00	0.30	
4	जलपथ प्रमंडल, राँची	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (नन्दिनी जलाशय योजना, पारस जलाशय योजना, बुचा-अुपा जलाशय योजना, किता सिंचाई योजना)	0.00	0.00	5.50	
5	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू		प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (काँची सिंचाई योजना, कोकरो सिंचाई योजना, रैयसा सिंचाई योजना, आराडीह सिंचाई योजना)	0.00	0.00	25.00	
6	जलपथ प्रमंडल, खूँटि		प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (तजना बराज योजना, धनसिंहटोली सिंचाई योजना, लतरातू जलाशय योजना)	0.00	0.00	8.50	
7	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा		प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (तोरलो जलाशय योजना, रोरो जलाशय योजना, सोना सिंचाई योजना, पुतुंगरा सिंचाई योजना)	0.00	0.00	8.00	


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 109 दिनांक 30/10/23 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड- 49P470180796460543

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	8	9	10	5
8	जलपथ प्रमंडल सं०-1, चक्रधरपुर	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (जेनासाई जलाशय योजना, विजय सिंचाई योजना, वरहमिनी सिंचाई योजना, सोनुआ सिंचाई योजना)	0.00	0.00	8.60	
9	जलपथ प्रमंडल, गुमला		प्रमंडल अंतर्गत 6 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (मसरिया जलाशय योजना, जयपुर जलाशय योजना, विष्णुपुर सिंचाई योजना, फुलझार सिंचाई योजना, खतवा सिंचाई योजना, कतरी जलाशय योजना (बाँयी मुख्य नहर))	0.00	0.00	5.80	
10	जलपथ प्रमंडल सं०-1, सिमडेगा		प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (चिन्दा जलाशय योजना, लरवा जलाशय योजना, तपकरा जलाशय योजना, कंसजोर जलाशय योजना)	0.00	0.00	5.00	
योग				0.00	0.00	96.40	
कुल राशि – ₹ छियानबे लाख चालीस हजार मात्र।							

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(अविनाश कुमार)
सचिव